न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 28/07 राजस्व अपील (सीलिंग)

सुरजाराम पुत्र लालूराम मेघवाल चक 25 जीओडीडी तहसील पूगल जिला बीकानेर

—अपीलान्ट

: ब ना म :

स्टेट ऑफ राजस्थान

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 23 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (सिलिंग) 1973

उपस्थितिः—

1. श्री धीरेन्द्र भदोरिया, वकील अपीलाण्ट।
2. विभागीय प्रतिनिधि स्टेट की ओर से।

: नि र्ण य :

दिनांक 11.03.2020

1. अपीलाण्ट ने उपायुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर ने यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट को बतौर महाजन फिल्ड फायरिंग विस्तारित के रूप में पूगल तहसील के रामड़ा ग्राम के खसरा नं. 271 में 60 बीघा बारानी भूमि आवंटित की गयी। भूमि चक प्लान में आने के कारण चक 25 डीओडीडी के मु.नं. 41/58 में 10 बीघा 61/2 में 24 बीघा 61/3 में 13 बीघा 41/59 में 10 बीघा इस प्रकार कुल 60 बीघा भूमि आवंटन हुई। उक्त भूमि रिकार्ड में 57 बीघा कमाण्ड बताई जा रही है जबकि मौके पर आधी से ज्यादा अनकमाण्ड है। सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मुख्यालय, बीकानेर ने आदेश दिनाक 15.02.99 से अपीलाण्ट की धारित भूमि को सीलिंग में लेने के आदेश दिये जो अपीलाण्ट को बिना सुने एकतरफा तौर पर दिये गये। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने पर अपील पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त होने पर उभयपक्ष तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।
2. तदन्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।
3. विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो के बिन्दूओ को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट को बतौर महाजन फिल्ड फायरिंग विस्तारित के रूप में पूगल तहसील के रामड़ा ग्राम के खसरा नं. 271 में 60 बीघा बारानी भूमि आवंटित की गयी। भूमि चक प्लान में आने के कारण चक 25 डीओडीडी के मु.नं. 41/58 में 10 बीघा 61/2 में 24 बीघा 61/3 में 13 बीघा 41/59 में 10 बीघा इस प्रकार कुल 60 बीघा भूमि आवंटन हुई। उक्त भूमि रिकार्ड में 57 बीघा कमाण्ड बताई जा रही है जबकि मौके पर आधी से ज्यादा अनकमाण्ड है। सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मुख्यालय, बीकानेर ने आदेश दिनाक 15.02.99 से अपीलाण्ट की धारित भूमि को सीलिंग में लने के आदेश दिये जो अपीलाण्ट को बिना सुने एकतरफा तौर पर दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के पिता की भूमि में से जो हिस्सा तय किया व गलत तरीके से किया है। पिता की भूमि में पांच वारिस है। अपीलाण्ट को पिता की भूमि में से 21 बीघा अनकमाण्ड भूमि आती है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने 24 बीघा कमाण्ड में हिस्सा बिना किसी जांच के बताकर कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट की एक पुत्री भी बालिग है व शादीशुदा है जो अपीलाण्ट की भूमि में से हिस्सा पाने की हकदार है। अगर उक्तानुसार युनिट की गणना की जाती तो अधीनस्थ न्यायालय को न्याय करने में मदद मिलती। अधीनस्थ न्यायालय ने 31 बीघा कमाण्ड व 3 बीघ अनकमाण्ड भूमि अधिशेष घोषित कर कानून के मान्य सिद्धांतो के विपरित कार्यवाही की हैं। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.2.99 निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि रिकार्डनुसार अपीलाण्ट चक 25डीओडीडी के मु.नं. 51/58, 61/2, 61/3, 41/59 में 57 बीघा कमाण्ड व 3 बीघा अनकमाण्ड कुल 60 बीघा भूमि धारित करता है। प्रार्थी के पिता के नाम से चक 25 डीओडीडी में 91 बीघा कमाण्ड व 17 बीघ अनकमाण्ड भूमि कुल 108 बीघा भूमि है। अपीलार्थी द्वारा धारित भूमि प्रावधानो के अंतर्गत सिलिंग सीमा से अधिक भूमि का अधिरोपण एवं अधिग्रहण करने का प्रकरण बनने के कारण सिलिंग सीमा से अधिक धारित भूमि राज्य पक्ष में अधिग्रहण करने हेतु माननीय न्यायालय को निवेदन किया गया है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अपीलाण्ट के धारण में सिलिंग सीमा से अधिक भूमि है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के पिता की भूमि में से जो हिस्सा तय किया है, वह सही प्रतीत नहीं होता है। अपीलाण्ट के पिता की भूमि के 5 वारिस बताये गये है। इस तथ्य की जांच नहीं की गयी है। अपीलाण्ट के परिवार में उसके पुत्र एवं पुत्री की यूनिट की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। प्रकरण वर्ष 2002 से रिकार्ड तलबी बाबत जैरकार है। लगभग 17 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त नही हुआ है। बिना रिकार्ड की जांच किये यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के प्रावधानो के अन्तर्गत अपीलाण्ट द्वारा धारित भूमि की गणना सिलिंग नियमो के परिपेक्ष्य में सही हो।अतः प्रकरण में हम पुनः विस्तृत जांच करवायी जाना न्यायोचित पाते है।

6. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.99 सहायक उपनिवेशन आयुक्त (छत्तरगढ़) मु. बीकानेर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पूगल को रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमो के परिपेक्ष्य में प्रकरण की विस्तृत जांचकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

7. निर्णय आज दिनांक **11.03.20** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर